कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:-(O) 07836-232227, (R)232230,(F) 233564E_Mail:- dfo.korea-bkp@yahoo.co.in

क्रमांक / तक.क. / .... 1347 बैकुन्ठपुर, दिनांक 27 / 9 / 2019

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर (छ0ग0)

विषय :- Diversion of forest land for non–forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Amarpur to Chirmiri Road Widening & Upgrading area 10.469 ha.

संदर्भ :- 01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध / वसं.अ) छ0ग0 रायपुर का पृष्ठांकन पत्र कमांक / भू – प्रबंध / विविध / 115 – 705 / 1970 दिनांक 06.08.2019

02. मुख्य वन संरक्षक का पृष्ठांकन कमांक / मा.चि. / 4174 अम्बिकापुर दिनांक 06.09.2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में प्रतिवेदन है कि व0सं0अ0 – 1980 के निर्देशों के परिपालन में महोदय द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार तैयार कर प्रस्तुत है ।

आपत्ति क.	आपत्ति का विवरण	आपत्ति का निराकरण
01	वन मण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल का प्रपत्र–3 स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में तैयार नहीं गया है। निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन दें–उदाहरण के लिये 2 पृष्ठीय नमूने की छाया प्रति संलग्न है ।	इस आपत्ति के अनुक्रम में लेख है कि स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र 03 के अनुसार ही किया गया है, जो प्रस्ताव के पेज कमांक 172, 173 एवं 174 संलग्न है । सुलभ संदर्भ हेतु स्थल निरीक्षण की एक प्रति पुनः महोदय के अवनलोकनार्थ संलग्न संप्रेषित है ।
02	मार्ग की कुल लम्बाई 16 कि.मी. है (प्रस्ताव के पृ.क.–24) या 12.40 कि.मी. (प्रस्ताव के पृ.क.–27) – स्पष्ट करें ।	प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक 24 में Detailed Estimated For Widening of Amarpur to Chirmiri Road मार्ग की कुल लम्बाई 16.00 कि. मी. लेख की गई है, जो वास्तविक रूप से 12.40 कि.मी. है । इस संबंध में आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण संभाग अम्बिकापुर के पत्र कमांक 2759 दिनांक 24.09.2019 के द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उक्त भिन्नता के परिपेक्ष्य में प्रतिवेदन किया गया है कि अमरपुर से चिरमिरी मार्ग की वास्तविक लम्बाई 16.00 कि.मी. होने के कारण पूर्व में पूरी लम्बाई का उल्लेख किया गया था, जिसमें से चैनेज 12227 (कि. मी. 13 / 4) से चैनेज 16000 (16 / 10) तक का मार्ग राजस्व भूमि में आता है । जिसका उन्नयन कार्य पूर्व के ही एस.ई.सी. एल. द्वारा किये जाने का उल्लेख किया गया है । सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।
03	**वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए चयनित समतुल्य राजस्व भूमि 10.469 हे. ग्राम ढोढीबहरा का** वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण – पत्र उप वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैकुण्ठपुर द्वारा जारी किया गया है जो मान्य नहीं है। वन मण्डलाधिकारी कोरिया का स्थल निरीक्षण के आधार पर जारी किया गया प्रमाण–पत्र प्रेषित करें ।	इस आपत्ति के अनुक्रम में प्रतिवेदन है कि निरीक्षण प्रतिवेदन उप वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैकुण्ठपुर के अतिरिक्त वन मण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर द्वारा भी पृथक से किया गया है जो प्रस्ताव के चेक लिस्ट कमांक 17 पेज कमांक 163 संलग्न है । सुलभ संदर्भ हेतु स्थल निरीक्षण की छायाप्रति पुनः महोदय के अवलोकनार्थ संलग्न संप्रेषित है ।

D:DM\Nagendra\DM 2019.Doc

अतः पालन प्रतिवेदन उपरोक्तानुसार महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

वनमण्डलाधिकारी,
कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

पृ0क्रमांक / तक.क. / ....
बैकुन्ठपुर, दिनांक / /2019

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भ–प्रबंध / व0सं0अ0) छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है ।

Sd/–
वनमण्डलाधिकारी,
कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

D:DM\Nagendra\DM 2019.Doc

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर/उ0व0म0अ0(दक्षिण) बैकुन्ठपुर का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

01- **परियोजना का नाम** : अमरपुर चिरमिरी मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नतिकरण कार्य

02- **आवेदक/आवेदक विभाग का नाम** : कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभागख, कोरिया संभाग-मनेन्द्रगढ़

03- **गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग** : मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नतिकरण कार्य

04- **आवेदित क्षेत्र की स्थिति -**

जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
कोरिया	कोरिया - बैकुन्ठपुर	अमरपुर-चिरमिरी मार्ग

05- **वनभूमि का विस्तृत विवरण -**

	वन खण्ड	कक्ष कमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्र0
क. आरक्षित वन	बुन्दियाबहरा आरक्षित वन	511 पी	3.414
	-	513 पी	3.907
	योग :-		**7.321**
ख. सीमांकित संरक्षित वन	सलका संरक्षित वन	पी 467 पी	0.930
		पी 466 पी	2.101
	योग :-		**3.031**
ग. असीमांकित संरक्षित वन			
	योग :-		**10.352**
घ. राजस्व वन क्षेत्र : (छोटे-बडे झाड का जंगल)	ग्राम का नाम	खसरा नं.	आवेदित क्षेत्रफल
1	टेंगनी	55	0.030
2		207	0.009
3		194	0.013
4		196	0.010
5		198	0.017
6		199	0.038
योग :-			0.117
राजस्व वन का कुल योग			0.117
कुल योग			**10.469**

06- आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार –

साइट क्वालिटी	:-	आवेदित स्थल पर मिक्स IV-b क्वालिटी का वन स्थित है।
घनत्व	:-	0.5 से कम

07- आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण

1. वन क्षेत्र :-

	प्रजाति	कुल वृक्षों की संख्या
1.	साल	98
2.	महुआ	16
3.	तेन्दू	141
4.	जामुन	08
5.	धावड़ा	04
6.	साजा	05
7.	नीम	03
8.	बीजा	02
9.	शीशम	01
10.	अन्य प्रजाति	283
	योग :-	562

08- आवेदित क्षेत्र के प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति :- अपर्याप्त

09- आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी, जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें :- आवेदित क्षेत्र राजमार्ग अमरपुर चिरमिरी के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य से संबंधित है, जो मुख्य मार्ग है। मानचित्र में अंकित है।

10- आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नही (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में) आवेदित क्षेत्र के आस पास 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में :- नहीं

11- आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नही (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में) आवेदित क्षेत्र के आस पास 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र के आस-पास 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी, दर्शाया जावें। :- नहीं

2- आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नही? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देंवें। :- नहीं

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक परीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई राजस्व वन भूमि गैरवानिकी प्रायोजन हेतु अनुसंशा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : अमरपुर चिरमिरी मार्ग।

निरीक्षण दिनांक : 05.04.2016 एवं 15-12-2017

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुन्ठपुर	उपवनमण्डलाधिकारी (दक्षिण) बैकुन्ठपुर	वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल बैकुन्ठपुर

D:DM:Nagendra:FCA:Amadand Tank:Praptra 01

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स)
कोरिया संभाग, मनेन्द्रगढ़ जिला–कोरिया (छ०ग०)

Email ID:- ee.mgarh@nic.in	Ph. No. 07771-243047

ज्ञापन क्रमांक 2759 /तक0/2019–20 **मनेन्द्रगढ़, दिनांक 24/09/2019**

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर
जिला–कोरिया (छ0ग0)

आवक
D.F.O. Korea Dn.
Baikunthpur
26/9/19

विषय:– **Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest conservation Act' 1980 for Amarpur to Chirmiri Road widening & upgrading area 10.469 Ha. Regarding. I**

संदर्भ:– **आपके कार्यालय के पत्र क्र0/मा0चि0/5749 बैकुण्ठपुर दिनांक 03/09/2019**

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अमरपुर–चिरमिरी मार्ग की वास्तिविक लम्बाई 16.00 किमी0 है। जनप्रतिनिधियों द्वारा जब इस कार्य के चौड़ीकरण (उन्नतिकरण) हेतु प्रस्ताव मांग किया गया था। चुकिं इस मार्ग की लम्बाई 16.00 कि0मी0 होने के कारण पूर्व में पुरी लम्बाई का उल्लेख किया गया था। जिसमें से चैनेज 12227 (कि.मी. 13/4) से चैनेज 16000 (कि.मी. 16/10) तक का मार्ग राजस्व भूमि में आता है जिसका उन्नयन पूर्व में ही एस.ई.सी.एल. चिरमिरी द्वारा किया जा चुका है।

अतः इस मार्ग के शेष बचे लम्बाई 12.40 कि.मी. लम्बाई में वनभूमि के फारेस्ट किलियरेंस का प्रकरण तैयार किया गया है।

सहपत्र:– शून्य।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
कोरिया संभाग, मनेन्द्रगढ़

पृ0 क्रमांक ..../तक0/2019–20 **मनेन्द्रगढ़, दिनांक ....../...../2019**

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य वन संरक्षरक, सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।

सहपत्र:– शून्य।

वनमण्डलाधिकारी कोरिया वन मण्डल
आवक क्रमांक 3961
बैकुण्ठपुर
26/9/19

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
कोरिया संभाग, मनेन्द्रगढ़

PC-1

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वन मण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph. No. :- (0) 07836-23227, (R) 232230, (F) 233564 E_Mail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

उपयुक्तता प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण सम्भाग मनेन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तावित अमरपुर से चिरमिरी मार्ग दूरी 12.4 कि.मी. में से वन क्षेत्र 10.352 हें. एवं राजस्व वन क्षेत्र 0.117 हें. कुल 10.469 हें. वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि 10.469 हें. कलेक्टर जिला – कोरिया द्वारा ढोंढ़ीबहरा, खसरा क्रमांक 185 पी., राजस्व निरीक्षक मण्डल – बैकुण्ठपुर, तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ.ग.) में उपलब्ध करायी गई है। उपरोक्त राजस्व भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रं.	कुल रकबा (हें. में)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि (हें. में)
1	कोरिया	बैकुण्ठपुर	ढोंढ़ीबहरा	185P	14.400	10.469

उक्त भूमि के संबंध में उप वनमण्डलाधिकरी, दक्षिण बैकुण्ठपुर, परिक्षेत्राधिकारी बैकुण्ठपुर, तहसीलदार, तहसील बैकुण्ठपुर, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ढोंढ़ीबहरा द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र एवं कलेक्टर कोरिया द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र के अनुसार उक्त भूमि में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम – 2006 के तहत् कोई वन अधिकार पत्र आवंटित नही किया गया है, एवं आवंटन हेतु शेष भी नही है। उपरोक्त 10.469 हें. भूमि का निरीक्षण परिक्षेत्राधिकारी बैकुण्ठपुर, उप वनमण्डलाधिकरी, दक्षिण बैकुण्ठपुर, एवं अधौहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा दिनांक 20-02-2019 को किया गया। राजस्व अभिलेख के अनुसार सीमा लाईन (Pillaring) का निर्धारण कर पूर्ण रूपेण सही किया गया है। तथा सीमा लाईन (Pillaring) का (Co-ordinate) भी नक्शे में तथा सीमा लाईन (Pillaring) पर अंकित कर दी गई है। प्रस्तावित भूमि पर रिक्त, विरल एवं कम घनत्व (Forest Density) का राजस्व क्षेत्र है। उपरोक्त 10.469 हें. राजस्व क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त है तथा सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर